पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

बाल विवाह के खिलाफ योगी सरकार का निर्णायक अभियान; 27 नवम्बर को प्रदेश भर के विद्यालयों में गूंजेगी जागरूकता की आवाज

बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा और सम्मानजनक भविष्य के लिए उच्च प्राथमिक, कंपोजिट व कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में होंगे सामूहिक शपथ कार्यक्रम

विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों के साथ अभिभावकों तथा विद्यालय प्रबंध समितियों की भी सुनिश्चित होगी सक्रिय भागीदारी

भारत सरकार के 'बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल' पर ऑनलाइन शपथ लेने के लिए किया जाएगा प्रेरित

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित 100 दिवसीय जागरूकता अभियान के अंतर्गत आयोजित हो रहे विशेष कार्यक्रम

लखनऊ : 26 नवम्बर, 2026

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा और सम्मानजनक भविष्य सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक बदलाव की मुहिम को नई धार दे रही है। बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति के समूल उन्मूलन हेतु अब विद्यालयों को जनजागरण का सशक्त केंद्र बनाया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार, 27 नवम्बर 2026 को प्रदेश के समस्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों, कंपोजिट विद्यालयों तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में विशेष जागरूकता एवं सामूहिक शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस संबंध में सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

इन विशेष कार्यक्रमों के दौरान विद्यार्थियों को बाल विवाह के दुष्परिणामों, बालिकाओं की शिक्षा एवं सुरक्षा के महत्व तथा इस कुरीति के उन्मूलन में उनकी निर्णायक भूमिका के प्रति जागरूक किया जाएगा। इस अवसर पर विद्यालयों में शिक्षक, विद्यार्थी और विद्यालय कर्मचारी सामूहिक रूप से बाल विवाह के विरुद्ध शपथ लेंगे। अभियान से परिवार और समाज को सीधे जोड़ने के उद्देश्य से विद्यालय प्रबंध समितियों (एस.एम.सी.) के सदस्यों तथा अभिभावकों को भी कार्यक्रमों में आमंत्रित किया जाएगा, ताकि बाल विवाह के विरुद्ध यह मुहिम केवल विद्यालय परिसरों तक सीमित न रहे, बल्कि परिवार और समुदाय भी इस सामाजिक बदलाव के सक्रिय भागीदार बनें।

अभियान के व्यापक प्रचार–प्रसार एवं डिजिटल सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों को भारत सरकार के 'बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल' पर ऑनलाइन शपथ लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कार्यक्रमों के फोटोग्राफ

विभागीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तथा स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से भी साझा किए जाएंगे, जिससे समाज के हर वर्ग तक जागरूकता का संदेश पहुंच सके।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से 21 अक्टूबर से 21 दिसम्बर 2026 तक 100 दिवसीय 'बाल विवाह मुक्त भारत जागरूकता अभियान' चलाया जा रहा है। 27 नवम्बर को अंतरराष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आयोजित किए जा रहे ये कार्यक्रम इसी राष्ट्रव्यापी अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। योगी सरकार की यह पहल बाल विवाह के विरुद्ध सामाजिक चेतना को मजबूत करने और प्रदेश की हर बेटी को शिक्षा, सुरक्षा एवं बेहतर भविष्य का अवसर प्रदान करने की दृढ़ प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

सम्पर्क सूत्र– धर्मवीर खरे

राम यतन/05:45 PM

फोन नम्बर Direct : 0522–2239023 ई0पी0बी0एक्स0: 0522–2239132,33,34,35 एक्सटेंशन : 223 224 225
फैक्स नं0 : 0522–2237230 0522–2239586 ई–मेल : upsoochna@gmail.com,
वेबसाइट :www.information.up.gov.in